संख्या-88 /2017/1104/22-4-17-48(11)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-29 दिसम्बर, 2017

विषय- जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्राइमरी यूजर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41811/आधु0-1/जेमपोर्टल, दिनांक 13.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्राइमरी यूजर नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं हेतु प्राइमरी यूजर (प्राथमिक उपयोगकर्ता) निम्नवत् नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

Sr. No.	Role	Designation	Name of Organization
1	Primary User	महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ	उ0प्र0 कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0
2	Verifying officer	प्रमुख सचिव E-mail pshomelko@gmail.com	गृह विभाग, उ0प्र0 शासन

3- प्राइमरी यूजर के पंजीकरण के उपरान्त महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों खरीददारी की आवश्यकता को देखते हुए सेकेन्ड्री यूजर्स के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-25.08.2017 (प्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। जेम पोर्टल से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा उ0प्र0 में सहायता के लिए जेम के तैनात किये गये 02 अधिकारी से संपर्क कर कार्यवाही करेंगे।

4- प्राइमरी यूजर के रूप में नामित अधिकारी द्वारा जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय एवं सेवाओं हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-25.08.2017 में विहित व्यवस्थानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in